कार्यालय नगरपालिका परिषद, विकासनगर (देहरादून)

सार्वजनिक सूचना

नगर पालिका परिषद् विकासनगर, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम–1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवत) की धारा–298 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद विकासनगर, देहरादून के अन्तर्गत "ठेकेदारी नियन्त्रित एवं पंजीकृत (संशोधित) उपविधि–2017" जो उत्तराखण्ड गजट प्रकाशन की दिनांक 25–11–2017 से लागू है। इस उपविधि के नियम–06 में बोर्ड बैठक दिनॉक 22–12–2018 के प्रस्ताव सं0–19 अनुसार संशोधन किया गया है,जिसे नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–3(1) की उपधारा–1 के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् विकासनगर, देहरादून को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ठेकेदारी नियन्त्रित एवं पंजीकरण (संशोधित) उपविधि–2019

स्तम्भ–1 विधमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–06 : नवीनीकरण की प्रक्रिया ठेकेदारो को प्रत्येक वर्ष निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण करना होगा :– (1) नवीनीकरण की अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह 200/– रू0 विलम्ब शुल्क का भुगतान करने पर नवीनीकरण किया जायेगा। (2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य रू0 50/– परिषद कार्यालय से कय कर विगत वर्ष मे किये गये कार्यो का विवरण देना होगा।	नियम–06 : नवीनीकरण की प्रक्रिया ठेकेदारो को 03 वर्ष मे निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण करना होगा :– (1) नवीनीकरण की अवधि 30 जून तक होगी,उसके बाद पुनः नया पंजीकरण करना होगा। (2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप पर ज़िसका मूल्य रू0 250/– परिषद कार्यालय से कय कर विगत 03 वर्ष मे किये गये कार्यो का विवरण देना होगा।

(बी0एल0आर्य)
अधिशासी अधिकारी

(शान्ति जुवॉठा)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगरपालिका परिषद, विकासनगर (देहरादून)

पत्रांक 1018/न0ग़ो0उपविधि/2018–19 दिनांक– 30,जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः–सम्पादक, ...शाह टाइम्स....... विकासनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त उपविधि का प्रकाशन शासकीय दरों पर कम से कम भाग में करते हुए 20 प्रतियॉ बिल के साथ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी, पौडी गढवांल
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञपत्ति उत्तराखण्ड की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5– उप ज़िलाधिकारी, विकासनगर।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, विकासनगर

Scanned by CamScanner